



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 24 दिसम्बर, 2008 ई0

पौष 03, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 212/XXXVI (3)/27/2008

देहरादून, 24 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2008 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2008)

“उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003” में अग्रेतर संशोधन हेतु यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ
और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2008" है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"उत्तरांचल" के
स्थान पर
"उत्तराखण्ड" पढ़ा
जाना

2. उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003 में जहां-जहां शब्द 'उत्तरांचल' आया है, वहां-वहां वह शब्द 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Board of Technical Education (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 11 of 2008).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 22, 2008.

No. 212/XXXVI(3)/27/2008

Dated Dehradun, December 24, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND BOARD OF TECHNICAL EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2008 (UTTARAKHAND ACT NO. 11 OF 2008)

Further to amend the "Uttaranchal Board of Technical Education, 2003" Act

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the fifty ninth year of the Republic of India as follows:--

Short title,
extent and
commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Board of Technical Education (Amendment) Act, 2008.
- (2) It shall come into force at once.

"Uttaranchal" to
be read as
"Uttarakhand"

2. In the Uttaranchal Board of Technical Education Act, 2003, wherever the expression 'Uttaranchal' occurs, it shall be read as "Uttarakhand".

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.